न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 229/08/टीआई

1. मंगलाराम पुत्र बोदुराम (मृतक)
    1/1 श्रीमती पन्नीदेवी धर्मपत्नी स्व. मंगलाराम
    1/2 कुल्डा राम } पुत्रगण स्व. मंगलाराम
    1/3 अमर चन्द
    1/4 बंशीधर
    1/5 श्रवण कुमार
    1/6 पतासी देवी पुत्री स्व. मंगलाराम
2. पन्ना राम } पुत्रगण बोदुराम
3. रामेश्वर लाल
4. खेता राम } पुत्रगण दूदाराम
5. गिरधारी

समस्त जाति बलाई निवासीगण कांटिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

1. नंदाराम पुत्र स्व. भूराराम (मृतक)
    1/1 कानाराम } पुत्रगण स्व. नंदाराम
    !/2 बनवारी
    1/3 दुर्गा पुत्री स्व. नंदाराम पत्नी बालूराम जाति बलाई नि. कांटिया हाल आबाद ससुराल हनुमानगढ जिला हनुमानगढ (राज.) वर्तमान पता बालूराम पुत्रश्री गगाराम वार्ड नं. 3 इन्द्रा गांधी कॉलेज के पास, बदला कॉलोनी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
    1/4 गोपाल पुत्री स्व. नंदाराम पत्नी डूंगाराम जाति बलाई नि. कांटिया हाल आबाद ससुराल ग्राम काबरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. भागीरथ पुत्र चून्नाराम जाति बलाई नि. जमनिवास गोगामेड़ी तहसील सुजानमगढ जिला चुरू
3. उमला पुत्र नानूड़ा जाति बलाई नि. कांटिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1- श्री भवानीसिंह शेखावत वकील प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक— 13.07.2015

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा एक दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का आराजियात ख.नं. 467, 468, 470 ता 484 किता 17 कुल रकबा 15.11 है. (पुराने ख.नं. 104) वाके ग्राम काटिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के बाबत प्रस्तुत कर आवेदन स्थगन पेश किया गया है। उक्त वर्णित भूमियां आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 की पैतृक है जिसमें आवेदकगण का हि. 3/4 व अनावेदक सं. 1 का हि. 1/4 है तथा इसी अनुसार अपने पूर्वजों के समय से काबिज रहकर निरंतर काश्त कर रहे है। उक्त भूमियों में आवेदकगण की रिहायशी पुरानी ढाणिंया बनी हुई है जिसमें आवेदकगण के कच्च पक्के मकानात बने हुए है। आवेदकगण की रिहायशी ढाणियों का राजस्व रिकार्ड में भी खसरा नं. 476 ता 480 ढाणी, बाड़ा व रास्ते के रूप में अंकन है। अनावेदक सं. 1 ने अपने हिस्से में से भूमि खसरा नं. 470 ता 472, 474 में से अपना हिस्सा 1/4 अनावेदक सं. 2 को बेचान कर दिया तब से अनावेदक सं. 2 का ही उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में नाम दर्ज हुआ है। उक्त भूमियों में अनावेदक सं. 3 के दादा रामदेवा का नाम 1/4 हिस्से में खातेदारी में पृथम सैटिलमेंट के दौरान ही गलत रूप से दर्ज हो गया तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर अनावेदक सं. 3 के पिता नानूड़ा व वर्तमान में 1/4 हिस्से की खातेदारी अनावेदक सं. 3 के नाम गलत रूप से चली आ रही है। जबकि अनावेदक सं. 3 अपने बाल्यकाल से ही घर छोड़कर चला गया जिसका आज तक कोई अता पता ही नहीं है। आवेदकगण का 3/4 हिस्से पर लम्बे से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में आवेदकगण के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है तथा आवेदकगण 3/4 हिस्से के काबिज खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। अनावेदक सं. 3 उमला जो कि अपने बाल्यकाल से ही कहीं चला गया है जिससे अनावेदक सं. 1 व 2 जो कि बहुत ही चतुर व्यक्ति है तथा भूमाफिया गिरोह से मिले हुए है तथा आवेदकगण व अनावेदक सं. 3 की भूमियों को हड़पने, अनावेदक सं. 3 की जगह किसी दीगर व्यक्ति को खड़ा कर अनावेदक सं. 4 से साज कर बेचान व हस्तांतरण कर आवेदकगण को बेदखल करने व भूमियों को खुद्र बुर्द करने की कुचेष्टा में है जिन्हें अस्थायी निषेधज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अगर अनावेदकगण अपने कपटपूर्ण इरादे में कामयाब हो गये तो आवेदकगण को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी कानून में किसी भी प्रकार संभव नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण का सुदृढ है व सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने से विवादग्रस्त कृषि भूमियों को अनावेदकगण द्वारा किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर आवेदकगण के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने से अपूर्तनीय 'क्षति आवेदकगण को होती है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण सं. 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वे आवेदकगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने, बलात् कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल करने, दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरण व बेचान करने आदि से बाज रहे तथा अनावेदकगण सं. 5 को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु एवं अनावेदक सं. 4 को पाबन्द फरमावें कि विवादित भूमि का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण प्रलेख तस्दीक करने से बाज रहे।

अधिकारी, दांतारामगढ

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण एवं अनावेदक सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमिया है आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 1 व 3 एक ही परिवार के व्यक्ति है। विवादित आराजियात में 1/4 हिस्से में खातेदारी प्रथम सैटिलमेंट के दौरान ही गलत रूप से अनावेदक सं. 3 के दादा रामदेवा का नाम दर्ज हो गया तथा तत्पश्चात् विरासत से अनावेदक सं. 3 के पिता नानूड़ा व वर्तमान मे अनावेदक सं. 3 के नाम गलत रूप से चली आ रही है। उक्त भूमि पर आवेदकगण का मौके पर कब्जा काश्त है तथा रिहायशी ढाणियां बनी हुई है जहां आवेदकगण सपरिवार आवास निवास कर रहे है तथा विवादित भूमि में फसल की सिंचाई हेतु कुआ बनाया हुआ है जिसका विद्युत सम्बन्ध आवेदकगण के नाम से है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण का सुदृढ है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा तादौराने दावा पाबन्दफरमाया जावें कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें व अन्यत्र बेचान हस्तांतरण न करें।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विवादित आराजियात ख.नं. 467, 468, 470 ता 484 किता 17 कुल रकबा 15.11 है. (पुराने ख.नं. 104) वाके ग्राम कांटिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर प्रार्थीगण एवं अनावेदक सं. 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी में है। विवादित भूमियों के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरियां पेश नहीं किये जाने से काश्त प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वजों की रही हो, तैय नहीं हो सका है फिर भी बावजूद तामील अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है इसलिए विवादित भूमियों में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का काल्पनिक रूप से माना जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात ख.नं. 467, 468, 470 ता 484 किता 17 कुल रकबा 15.11 है. (पुराने ख.नं. 104) वाके ग्राम कांटिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मिसल फैसल शुमार होकर दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्डाधिकारी, दांतारामगढ़